भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 165
सोमवार, 2 फरवरी, 2026 (13 माघ 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान

165. श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो को हुई व्यापक उड़ान व्यवधानों की जांच पूरी कर ली है;

(ख) क्या विमानन कंपनियों को सुरक्षा मानदंडों, चालक दल के ड्यूटी और विश्राम विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्देश या सुधारात्मक उपाय जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यात्रियों को धन वापसी और मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) व्यस्त समय के दौरान हवाई यातायात की सुगमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): जी हां।

(ख) और (ग): दिनांक 3 से 5 दिसंबर 2025 के दौरान मैसर्स इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए विलंबों तथा रद्दकरण के संबंध में डीजीसीए ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) निगरानी, आयोजना और संशोधित एफडीटीएल नियमों के कार्यान्वयन में कमियों के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को सावधानियां और चेतावनियां जारी कीं, संबंधित एसवीपी को प्रचालन संबंधी दायित्वों से हटाने हेतु निर्देशित किया और एक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गयी।

(ii) वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 133क के तहत निदेशों के अनुपालन न किए जाने के लिए 22.20 करोड़ रुपये का एकबारगी वित्तीय दण्ड लगाया।

(iii) अनुपालन और दीर्घकालिक सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो को डीजीसीए के पक्ष में 50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने का निदेश दिया।

इंडिगो ने औपचारिक तौर पर आश्वस्त किया है कि उनके पास 10 फरवरी, 2026 के बाद बिना किसी छूट के प्रचालन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पायलट और क्रू उपलब्ध होंगे। उसे अस्थायी रियायतों के समाप्त होने के बाद प्रचालन स्थिरता और भविष्य में रद्दकरण से बचने की उम्मीद है।

(घ) डीजीसीए ने एयरलाइनों को निर्देशित किया है कि डीजीसीए द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर), खंड-3, श्रृंखला-एम, भाग-IV में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार

रिफंड और क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, डीजीसीए, प्रभावित यात्रियों को रिफंड और क्षतिपूर्ति धनराशि के समय पर संवितरण करवाने के लिए इंडिगो, आनलाइन ट्रैवल एजेन्ट्स (ओटीए) तथा पर्यटन मंत्रालय, जिसकी निगरानी में ओटीए कार्य करते हैं, से लगातार सम्पर्क बनाए हुए है।

(ङ) : यात्री मांग और हवाई यातायात में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा व्यस्ततम समय के दौरान हवाई यातायात के लचीलेपन को मजबूती प्रदान करने के लिए समय-समय पर नए हवाईअड्डों का विकास और विस्तार, मौजूदा हवाईअड्डों का रुपांतरण और हवाईअड्डा अवसंरचना के अपग्रेडेशन का कार्य किया जाता है। इसमें नए टर्मिनलों का निर्माण, मौजूदा टर्मिनलों का विस्तार और आधुनिकीकरण, रनवे और एप्रनों का सुदृढ़ीकरण और विस्तार, यात्री सुविधाओं में बढ़ोत्तरी और विमान दिक्चालन सेवाएं (एएनएस) अवसंरचना यथा कंट्रोल टॉवर और तकनीकी ब्लॉक्स में वृद्धि करना शामिल हैं। इस प्रकार के विकास कार्यों को भूमि की उपलब्धता, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और सक्षम विनियामक प्राधिकरणों से अपेक्षित अनापत्तियों जैसे कारकों के अध्यधीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ताओं द्वारा पूरा किया जाता है।

******